प्रकाशन हेतु अनुमोदित

**<u>छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर</u>**

**<u>रिट याचिका क्रमांक 2114 / 1994</u>**

याचिकाकर्ता : रामभरोसे उर्वसा

बनाम

उत्तरवादी : भारत रिफ्रैक्ट्रीज़ लिमिटेड एवं अन्य

---

आदेश हेतु 22 फरवरी, 2012 को सुचीबद्ध करें।

हस्ताक्षरित –

प्रशांत कुमार मिश्रा

न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर में**

**रिट याचिका क्रमांक 2114 / 1994**

याचिकाकर्ता : रामभरोसे उर्वसा

बनाम

उत्तरवादी : भारत रिफ्रैक्ट्रीज़ लिमिटेड एवं अन्य

---

उपस्थित :

श्रीमती सविता तिवारी, याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता।

श्री आर.एम. सोलापुरकर, प्रतिवादी क्रमांक 1 की ओर से अधिवक्ता।

---

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आदेश

(दिनांक 22 फरवरी, 2012 को पारित)

प्रशांत कुमार मिश्रा, न्यायाधीश

1. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226/227 के अंतर्गत प्रस्तुत इस याचिका में, याचिकाकर्ता ने श्रम न्यायालय द्वारा दिनांक 13-1-1994 को पारित आदेश (परिशिष्ट-P/9) तथा औद्योगिक न्यायालय द्वारा दिनांक 22-2-1994 को पारित अपीलीय आदेश (परिशिष्ट-P/11) को अभीखण्डित किए जाने की प्रार्थना की है। उक्त आदेशों के माध्यम से मध्यप्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 (संक्षेप में '1960 का अधिनियम') की धारा 31(3) के अंतर्गत याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत आवेदन को यह कहते हुए खारिज कर दिया गया कि आवेदन समय-सीमा (सीमाबद्धता) से बाधित है।

2. यह निर्विवाद है कि याचिकाकर्ता को 26-5-1981 को खलासी के पद पर नियुक्त किया गया था तथा 2-1-1986 को उसे हेल्पर (आर-2 ग्रेड) के पद पर पदोन्नत किया गया। अपनी पत्नी की हत्या करने के आरोप में उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धाराओं 302 एवं 201 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया तथा उसे 30 मार्च, 1985 को गिरफ्तार किया गया। दिनांक 21-11-1985 के निर्णय द्वारा विचारण न्यायालय ने उसे दोषसिद्ध ठहराते हुए आजीवन सश्रम कारावास तथा 4 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। तथापि, उसकी दाण्डिक अपील क्रमांक 1344/85 को उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय के माध्यम से स्वीकार किया गया। दिनांक 13-12-1991 के निर्णय द्वारा दोनों अपराधों में की गई उसकी दोषसिद्धि को निरस्त कर दिया गया।

3. जिस समय याचिकाकर्ता जेल में था, उस दौरान उसे दिनांक 8-10-1986 के आदेश द्वारा सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। श्रम न्यायालय द्वारा पारित आदेश में उपलब्ध तथ्यों के विवरण से प्रतीत होता है कि नियोक्ता के दिनांक 24-10-1986 के पत्र द्वारा उसे बर्खास्तगी के आदेश की सूचना दी गई, जिसके पश्चात उसने अवैध बर्खास्तगी के विरुद्ध दिनांक 29-10-1986 एवं 31-12-1986 को नियोक्ता के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। नियोक्ता द्वारा उससे चिकित्सा प्रमाण-पत्र की मांग की गई, जिस पर उसने उत्तर दिया कि अपनी पत्नी की हत्या के आरोप में जेल में बंद होने के कारण वह कोई भी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने की स्थिति में नहीं है। जेल से रिहा होने के पश्चात उसने दिनांक 2-1-1992 को नियोक्ता के समक्ष पुनः अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, किन्तु नियोक्ता द्वारा उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4.तत्पश्चात याचिकाकर्ता ने मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय में एम.पी. क्रमांक 1322/93 के अंतर्गत एक रिट याचिका प्रस्तुत की, जिसे दिनांक 19-4-1993 को (अनुलग्न-P/1) यह निर्देश देते हुए निराकृत किया गया कि वह मध्यप्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम के अंतर्गत उपलब्ध वैकल्पिक उपाय का सहारा ले। इसके पश्चात याचिकाकर्ता ने दिनांक 21-5-1993 को 1960 के अधिनियम की धारा

31(3) के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें अन्य बातों के साथ यह उल्लेख किया कि जिस समय उसे सेवा से बर्खास्त किया गया, वह जेल में था तथा रिहा होते ही उसने अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, जिस पर नियोक्ता द्वारा कोई संज्ञान नहीं लिया गया और इसके बाद उसने रिट याचिका प्रस्तुत की, जिसमें उसे वैकल्पिक उपाय अपनाने का निर्देश दिया गया।

5. नियोक्ता ने अपने लिखित उत्तर में आरोपों का खंडन करते हुए यह कहा कि याचिकाकर्ता दिनांक 25-3-1985 से बिना किसी सूचना अथवा अवकाश की स्वीकृति के अनधिकृत रूप से ड्यूटी से अनुपस्थित था। उसने चिकित्सा आधार पर अवकाश मांगा था, तथापि जब चिकित्सा चिकित्सा प्रमाण-पत्र की मांग किए जाने पर उसने यह कहते हुए प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थता व्यक्त की कि वह जेल में निरुद्ध है। लिखित कथन के कंडिका-5 में यह भी कहा गया है कि याचिकाकर्ता ने नियोक्ता को एक पत्र भेजकर यह अनुरोध किया था कि मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के निर्णय तक उसके विरुद्ध पारित सेवा-समाप्ति (बर्खास्तगी) आदेश पर विचार किया जाए। अन्य तकनीकी आपत्तियों के साथ-साथ उत्तरवादी नियोक्ता द्वारा यह भी कहा गया कि प्रस्तुत आवेदन समय-सीमा से बाधित है, क्योंकि सेवा-समाप्ति आदेश दिनांक 8-10-1986 को चुनौती देने हेतु याचिकाकर्ता ने मई, 1993 में कार्यवाही प्रारंभ की है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. अनुलग्न -P/9 के आदेश द्वारा श्रम न्यायालय ने याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत आवेदन को केवल समय-सीमा के आधार पर खारिज कर दिया तथा इसी आधार पर उसकी अपील भी निरस्त कर दी गई। वर्ष 1960 का अधिनियम कर्मचारियों के संबंधों को विनियमित करने हेतु तथा औद्योगिक विवादों के निपटारे और उनसे संबद्ध कुछ अन्य विषयों के लिए प्रावधान करने वाला अधिनियम है। यह वही क्षेत्र आच्छादित करता है, जो केन्द्रीय अधिनियम अर्थात् औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (संक्षेप में '1947 का अधिनियम') द्वारा आच्छादित है। दोनों अधिनियमों का विषयवस्तु समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है और चूँकि राज्य अधिनियम को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त है,

अतः जिन उद्योगों पर 1960 का अधिनियम धारा 1(3) के अंतर्गत अधिसूचना जारी कर लागू किया गया है, वहाँ केन्द्रीय अधिनियम का प्रयोग विस्थापित हो जाता है। अतः यह स्पष्ट है कि 1947 के अधिनियम तथा 1960 के अधिनियम के निर्माण का उद्देश्य एक ही है, अर्थात् नियोक्ताओं और कर्मचारियों—दोनों को सामाजिक न्याय प्रदान करना तथा पक्षकारों के मध्य सामंजस्य और सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित कर उद्योग की प्रगति को बढ़ावा देना। यह एक ऐसा विधान है जो श्रमिकों की सेवा-शर्तों को प्रदान एवं विनियमित करता है तथा औद्योगिक श्रमिकों की सेवा-परिस्थितियों में सुधार करने के लिए बनाया गया है, ताकि उनके लिए जीवन की सामान्य सुविधाएँ उपलब्ध कराने तथा इस प्रक्रिया के माध्यम से औद्योगिक शांति स्थापित करने के उद्देश्य से यह अधिनियम बनाया गया है। 1947 के अधिनियम के उद्देश्य को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड बनाम वर्कमेन (AIR 1967 SC 948) के प्रकरण में रेखांकित किया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. अजीब सिंह बनाम सिरहिंद को-ऑपरेटिव मार्केटिंग-कम-प्रोसेसिंग सर्विस सोसाइटी लिमिटेड एवं अन्य ◆ के मामले में, कंडिका-5 में निम्नलिखित कहा गया है :—

> “5. पक्षकारों की ओर से प्रस्तुत परस्पर विरोधी तर्कों का मूल्यांकन करने से पूर्व यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि यह अधिनियम किन परिस्थितियों में बनाया गया तथा इसके विधायी उद्देश्य क्या थे। इसमें कोई विवाद नहीं हो सकता कि यह अधिनियम नियोक्ताओं एवं कर्मचारियों—दोनों को सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने तथा पक्षकारों के मध्य सामंजस्य एवं सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित कर उद्योग की प्रगति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से संविधि में सम्मिलित किया गया है। यह एक ऐसा विधान है जो श्रमिकों की सेवा-शर्तों का प्रावधान एवं विनियमन करता है। अधिनियम का उद्देश्य औद्योगिक श्रम की सेवा-परिस्थितियों में सुधार करना है,

ताकि उन्हें जीवन की सामान्य सुविधाएँ उपलब्ध कराई जा सकें और इस प्रक्रिया के माध्यम से औद्योगिक शांति स्थापित की जा सके, जो आगे चलकर देश की उत्पादन गतिविधियों को गति देकर समृद्धि का कारण बने। देश की समृद्धि, अपने क्रम में, श्रम की परिस्थितियों में सुधार करने में सहायक होती है (हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड बनाम वर्कमेन, AIR 1967 SC 948)। यह अधिनियम न केवल औद्योगिक विवादों की जाँच एवं निपटान के लिए प्रावधान करने के लिए अभिप्रेत है, बल्कि औद्योगिक शांति की स्थापना के लिए भी है, जिससे अधिक उत्पादन हो और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सुधार हो। वर्तमान सामाजिक-राजनीतिक-आर्थिक व्यवस्था में, इसका उद्देश्य पूंजी और श्रम के बीच सहयोग स्थापित करना है, जिसे उत्पादन में वृद्धि तथा औद्योगिक शांति के संरक्षण के लिए। यह अधिनियम श्रमिकों को न्यायोचित शर्तें सुनिश्चित करने तथा नियोक्ता और कर्मचारियों के बीच विवादों को रोकने के लिए प्रावधान करता है, ताकि जनहित को क्षति न पहुँचे। अधिनियम के प्रावधानों की व्याख्या इस प्रकार की जानी चाहिए जिससे विधायिका द्वारा उद्देश्य एवं कारण विवरण में परिकल्पित उद्देश्य की पूर्ति हो सके। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों की व्याख्या करते समय यह प्रयास किया जाना चाहिए कि औद्योगिक अशांति से बचा जाए, औद्योगिक शांति सुनिश्चित की जाए तथा इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उपयुक्त तंत्र उपलब्ध कराया जाए। सुलह इस लक्ष्य को प्राप्त करने का सबसे महत्वपूर्ण एवं वांछनीय माध्यम है। औद्योगिक विवादों से निपटने में न्यायालयों ने सदैव सामाजिक न्याय के सिद्धांत पर बल दिया है, जो हमारे संविधान की प्रस्तावना में निहित सामाजिक-आर्थिक समानता के मूल आदर्श पर आधारित है। अधिनियम के प्रावधानों की व्याख्या करते समय न्यायालयों को ऐसी व्याख्या करनी चाहिए जिससे अधिनियम के उद्देश्य की प्राप्ति में सहायता मिले।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. अजीब सिंह के पूर्वोक्ता प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय समान प्रकार के मुद्दे पर विचार कर रहा था, जिसमें श्रम न्यायालय ने पुनर्नियुक्ति एवं पिछला वेतन (बैक वेजेस) देने की प्रार्थना स्वीकार की थी, किंतु अपील में वह आदेश निरस्त कर दिया गया था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अधिनियम के उद्देश्यों को पुनः प्रतिपादित करते हुए यह निर्णय दिया कि सीमा अधिनियम के अनुच्छेद 137 के अंतर्गत निर्धारित समय-सीमा औद्योगिक विवाद को श्रम न्यायालय में संदर्भित किए जाने के मामलों पर लागू नहीं होती।

9. उपर्युक्त विधायी उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए, यह न्यायालय अब इस प्रश्न पर विचार करेगा कि क्या 1960 के अधिनियम के अंतर्गत श्रम न्यायालय में चलने वाली कार्यवाही में, श्रम न्यायालय को धारा 31(3) को धारा 62 के साथ पठित करते हुए आवेदन दायर करने में हुई देरी को माफ (कंडोन) करने की शक्ति प्राप्त है या नहीं; और यदि है, तो क्या इस मामले में इस मामले के विशेष तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए, श्रम न्यायालय द्वारा देरी को क्षमा किया जाना चाहिए था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. जहाँ तक 1960 के अधिनियम के अंतर्गत श्रम न्यायालय में होने वाली कार्यवाही पर सीमा अधिनियम की धारा 5 की लागूता का प्रश्न है, इस न्यायालय को इस विषय पर विस्तार से विचार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस संबंध में मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के पूर्णपीठ द्वारा मोहम्मद सगीर बनाम भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स एवं अन्य ◆ के मामले में स्पष्ट निर्णय दिया जा चुका है, जिसमें माननीय न्यायाधीशों ने निर्णय के पैरा 30 एवं 31 में इस प्रकार कहा है :—

> “30. एक बार यह निष्कर्ष निकाल लिया जाए कि अधिनियम लागू होता है, तो कार्यवाही की प्रकृति का प्रश्न अप्रासंगिक हो जाता है। विजय सिंह (पूर्वोक्ता) के प्रकरण में खंडपीठ ने कार्यवाही की प्रकृति पर विचार करते हुए यह मत व्यक्त किया था कि उक्त अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन घोषणात्मक वाद के स्वरूप का है। उक्त निष्कर्ष मोहम्मद अशफ़ाक (पूर्वोक्ता) के मामले का

आलंबन लेते हुए निकाला गया था। इसका गहन परीक्षण करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि युगल-पीठ द्वारा दी गई व्याख्या सही नहीं है। सीमा अधिनियम का कोई अपवर्जन नहीं है। मात्र इसलिए कि प्रावधान में यह कहा गया है कि धारा 17 के कारण कुछ समय-अवधि की अनुमति दी जाती है, इसका यह अर्थ नहीं लगाया जा सकता कि सीमा अधिनियम को अपवर्जित कर दिया गया है। यदि प्रयुक्त भाषा के आधार पर इस प्रकार का समावेशन स्वीकार किया जाए, तो यह संकीर्ण एवं अपूर्ण होगा, जो विधायिका का उद्देश्य या अभिप्राय नहीं है। हमारे मत में, धारा 17 के अंतर्गत समय की छूट प्रदान करके परिधि को विस्तृत किया गया है और उससे समय-सीमा को सीमित करने का निष्कर्ष नहीं निकाला जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना न केवल प्रयुक्त भाषा के साथ अन्याय होगा, बल्कि उद्देश्यपरक व्याख्या की अवधारणा को भी विफल करेगा तथा अधिनियम की मूल भावना को ठेस पहुँचाएगा। अतः हमारे सुविचारित मत में, युगल-पीठ द्वारा उक्त प्रावधान पर दी गई व्याख्या सही नहीं है। चूँकि माननीय एकल न्यायाधीश नारायण सिंह (पूर्वोक्ता) के प्रकरण में दिए गए निर्णय से निर्देशित थे, इसलिए हमें यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि वह निर्णय सही नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

31. उपर्युक्त तथ्यों एवं कारणों के आलोक में, हम निम्नलिखित निष्कर्षों पर पहुँचते हैं :—

(i) विजय सिंह (पूर्वोक्ता) के मामले में विधि का जो प्रतिपादन किया गया है कि अधिनियम (अधिनियम क्रमांक 3 सन् 1977) की धारा 5 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पर सीमा अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होंगे, क्योंकि वह एक मूल कार्यवाही है

जो घोषणात्मक वाद के स्वरूप की है तथा विशेष अधिनियम में भिन्न प्रकार की सीमा-निर्धारण व्यवस्था की गई है—यह प्रतिपादन सही नहीं है।

(ii) नारायण सिंह (पूर्वोक्ता) के मामले में दिया गया निर्णय, जहाँ तक यह घोषणा करता है कि मध्यप्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम (MPIR Act) की धारा 62 के अंतर्गत होने वाली कार्यवाही पर सीमा अधिनियम लागू नहीं होता, विधि को सही रूप में प्रतिपादित नहीं करता।

(iii) MPIR अधिनियम की धारा 62 में प्रयुक्त भाषा, सीमा अधिनियम की धारा 29(2) की लागूता के लिए आवश्यक दोनों शर्तों को पूर्ण करती है और परिणामस्वरूप उक्त प्रावधान लागू होता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(iv) MPIR अधिनियम की धारा 62 के अंतर्गत निर्धारित सीमा-काल से परे आवेदन प्रस्तुत करने वाला कर्मचारी, सीमा अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत कर सकता है और यदि पर्याप्त कारण दर्शाए गए हों, तो श्रम न्यायालय के लिए देरी को क्षमा करना खुला रहेगा।

11. एक बार यह मान लिया गया कि 1960 के अधिनियम के अंतर्गत होने वाली कार्यवाही में सीमा अधिनियम की धारा 5 लागू होती है, तो श्रम न्यायालय के समक्ष अगला प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि क्या वर्तमान प्रकरण में 1960 के अधिनियम की धारा 31(3) के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन में श्रमिक द्वारा किए गए कथनों को देखते हुए श्रम न्यायालय देरी को क्षमा कर सकता था अथवा कम से कम उसे देरी क्षमा किए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाना चाहिए था। यह निर्विवाद है कि जिस समय श्रमिक को सेवा से पृथक किया गया, उस समय वह जेल में निरुद्ध था तथा उच्च न्यायालय द्वारा दोषमुक्त किए जाने और तत्पश्चात जेल से रिहा होने के तुरंत बाद उसने एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, जिसका प्रबंधन द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया। इसके पश्चात उसने

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका प्रस्तुत की, जिसे श्रमिक को वैकल्पिक उपाय अपनाने का निर्देश देते हुए निराकृत किया गया। उक्त रिट याचिका का निर्णय दिनांक 19-4-1993 को हुआ तथा इसके लगभग एक माह के भीतर ही, अर्थात् दिनांक 21-5-1993 को, 1960 के अधिनियम की धारा 31(3) को धारा 62 के साथ पठित करते हुए आवेदन प्रस्तुत किया गया। अतः समय-सीमा के भीतर श्रम न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत न कर पाने के लिए याचिकाकर्ता द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण युक्तियुक्त एवं विश्वसनीय प्रतीत होता है।

12. तथापि, चूँकि देरी क्षमा किए जाने हेतु कोई पृथक आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है, इसलिए इस न्यायालय के लिए इस संबंध में निर्णय देना संभव नहीं है और देरी क्षमा किए जाने के लिए आवेदन प्रस्तुत किए जाने पर, श्रम न्यायालय को ही इस पर विचार कर यह निर्णय लेना होगा कि प्रकरण के तथ्यों में देरी क्षम्य है अथवा नहीं। अतः यह न्यायालय इस सुविचारित मत पर पहुँचा है कि श्रम न्यायालय तथा अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित विवादित आदेश निरस्त किए जाने योग्य हैं तथा मामला पुनः श्रम न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाना चाहिए कि याचिकाकर्ता, आवेदन प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा कराने हेतु सीमा अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत करे और उक्त आवेदन पर उक्त आवेदन का निर्णय श्रम न्यायालय द्वारा अपने स्वतंत्र विवेक से, गुण-दोष के आधार पर किया जाएगा और यदि देरी क्षम्य पाई जाती है, तो तत्पश्चात 1960 के अधिनियम की धारा 31(3) को धारा 62 के साथ पठित करते हुए प्रस्तुत आवेदन का निस्तारण, दोनों पक्षों को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान करने के उपरांत, गुण-दोष के आधार पर किया जाएगा। तदनुसार आदेश पारित किया जाता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. इस प्रकार, रिट याचिका सफल होती है और आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है।

व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं किया जा रहा है।

हस्ताक्षरित —

प्रशांत कुमार मिश्रा

न्यायाधीश

**अस्वीकरणः** हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**Translated By Adv. ISHAN SHARMA**